

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खींवसर...

हिम्मतसिंह बनाम प्रेमकंवर

किस्म मुकदमा...वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज. काश्त. अधिनियम

मु. नं...81 .सन्..2018

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज 24.05.2018	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
------	---	--

वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज. काश्त. अधिनियम बाबत् वाद के तहत प्रस्तुत किया । जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.07.2018 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
खींवसर

14/5

16/7

~~उक्त प्रकरण में अदालत, खींवसर
परिस्थित, अमान्यता प्रकरण का अहकाम
अदालत में प्रेषित कर इत दोष पक्ष महामत
द्वारा प्रस्तावना अदालत में प्रेषित किया जात
था। अहकाम दिनांक 11/6/18~~

~~अध्यक्ष
ज्या. क. उ. नं. 81
खींवसर~~

16/6

~~उक्त प्रकरण में अदालत
आपके द्वारा, कम्प काट नाम पत्रावली
में भेजा हुआ। उपस्थित पक्षकारानों को अहकाम &
जाज्ञीनामा करने हेतु अधिकाधिक समय
पक्षकारों से अहकाम पत्रावली भेजा गया है।
महामत नदी द्वारा पत्रावली प्रेषित की गयी।
दिनांक 24/9/18 को पेश है~~


~~अधीन अधिकार
तय आपके द्वारा
कम्प काट~~

16/7

पक्षकार/पक्षकारान अंधेवक्त उपस्थित

पीठासीन अधिकाधिक की मीटिंग में प्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है। अवकाश पर गये हुए
है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 24/9
को प्रस्तुत है।

इसलिए न्यायक्षेत्र में खली पेश हुए
लेकिन इतिम अवसर प्रदान किया गया
है। आगे कोई भी अवसर नहीं बढ़ाया
जायेगा। पत्रावली खली हेतु दिनांक
21/9/22 को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.), खीवसर

21/9
पत्रावली पेश हुई।
प्रतिभाषित अधिकारी को पेटिशन को
अनुमति/निराकरण/अपमान/अपमान
अनुमति/निराकरण/अपमान/अपमान
दिनांक 21/9/22 को पेश किया।

7/12/22
पत्रावली पेश। वक्तुलाभ्य उपर। वारी-प्रतिवादी
को धार-धार आवान दिलवायी गयी, अगर
गैर धाजिर। अतः धार-धार वभाषित
को मे आवान दिलवाये हे पश्चात ही कोई
भी (वारी-प्रतिवादीगण) उपस्थित नहीं होते
हे कारण शब्द विरुद्ध खुद पक्षीय-
वारीवादी अफसल में जारी जारी है।
वारीवादी ने निवेदन बुट धारा नि-
कल में इस प्रकरण में पेशी नहीं
हुला पाएगा इ तथा खारिज बुटवाना
पाएगा इ। अतः वारीवादी हे निवेदन
पर वारी को उस धार सफुद पेशी →

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अफम हाजरी में रजिस्ट्रिड किया जाग है।
पत्रावली के जारी के निवेदन पर पत्र:-
Restore या Re-open किया जा सकता है।
पत्रावली फेशल शुमार होकर, नम्बर से
कम होकर बाद जाला कार्किविल फफरा के


सहायक कलक्टर
(SDO), बीकानेर